राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0- 26 /2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ- 226002
फोन नं. 0522-27240003/2390240, फैक्स नं. 0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल police.up@nic.in
वेबसाईटः https://uppolice.gov.in

दिनांकः अप्रैल 19 , 2026

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal No. 1927/2025 Arising out of SLP (CRL) No. 4658/2025 पिंकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के आलोक में NHRC, नई दिल्ली एवं BIRD (Bhartiya Institute of Research & Development) की रिपोर्ट में अंकित सिफारिशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal No. 1927/2025 Arising out of SLP (CRL) No. 4658/2025 पिंकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के पैरा 34 के बिन्दु संख्या- 3, 5, 9 व 22 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में NHRC, नई दिल्ली एवं BIRD (Bhartiya Institute of Research & Development) की रिपोर्ट में अंकित सिफारिशों का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैः-

34(3). The idea of community policing needs to be made more widely known in order for people and non-governmental organisations to get involved in policing to stop and combat the trafficking of women and children.

34(5). To address the issue and protect the rights of victims and survivors, comprehensive legislation is required due to the under-reporting of human trafficking instances and gaps in other laws. For law enforcement organisations, there is a need for an extensive training and capacity-building programme on the topic of human trafficking. It should be made mandatory for AHTU or the Police to report every case of human trafficking.

34(9). Recruitment agencies, document forgers, brokers, brothel owners, debt collectors, managers and owners of employment agencies, corrupt immigration officials, consular staff, embassy staff, law enforcement officers, border guards who accept bribes in exchange for passports, visas, and safe transit, and all others who are involved by their acts of omission and commission that result in exploitation should be dealt harshly under law.

34(22). Strong action against human traffickers should be taken, including criminal penalties and the freezing of their bank accounts. The unlawful assets amassed by traffickers and other parties as a result of exploiting trafficked victims should be seized and forfeited. Human trafficking, particularly of minors, is a kind of modern- day slavery that necessitates a holistic, multisectoral strategy to address the problem's complicated dimensions. Law cannot be the exclusive device for dealing with challenging social and economic issues. Given the infancy of services to trafficked people, monitoring and evaluation studies should be a part of any assistance programme, both governmental and private. Anti- trafficking legislation must be enforced properly, which necessitates educating individuals about the laws in place so that these rights are respected and upheld in practice. There are provisions for victim confidentiality, in camera trial (Section 327 CrPC), and compensation (Section 357 CrPC) in the existing laws. These provisions should be applied in relevant circumstances to protect victims' rights. In dealing with instances, the National Human Rights Commission has a larger role to play, and it must make recommendations and adopt remedial actions.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वर्णित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः-

- मानव दुर्व्यापार एक संगठित अपराध है जिसमें मुख्यतः स्रोत (Source), पारगमन (Transit) एवं गन्तव्य (Destination) को शामिल किया गया है। प्रायः जनसामान्य को मानव दुर्व्यापार को पहचानने, अपराध की प्रकृति को समझने एवं रिपोर्ट करने की जागरूकता में कमी होती है। जिससे यह आवश्यक है कि पुलिस बल द्वारा जनसामान्य मुख्यतः महिलाओं एवं बालिकाओं को मानव दुर्व्यापार अथवा मानव तस्करी पर सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जाये।
- प्रदेश के सभी थानों के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति केन्द्र, बीट पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की सामुदायिक पुलिसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये मानव दुर्व्यापार के संबंध में जन-जागरूकता किये जाने हेतु व्यापकता प्रदान की जाये, जिसमें अन्य विभागों व इकाईयों यथा- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, NGO, GRP, RPF, अभियोजन, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर, बाल कल्याण समिति, एस0एस0बी0, श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग आदि के पदाधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त कार्य-योजना तैयार करें । जिससे मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों को चिन्हित करने, बचाव के उपाय करने एवं रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जनमानस जागरूक हो सके।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों में दोषसिद्धि की कम संख्या पर संज्ञान लेते हुये दोषसिद्धि को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण पर बल दिया गया है । जिसके अनुपालन हेतु यह आवश्यक है कि सभी पुलिस बल, जिसमें मुख्यतः एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने, विशेष किशोर पुलिस इकाई व मिशन शक्ति केन्द्र के कर्मियों को शामिल करते हुए जनपदों में समय समय पर मानव दुर्व्यापार से संबंधित विशेषज्ञों, अभियोजन अधिकारियों को बुलाकर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाये।

जिससे मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों में प्रभावी विवेचना के साथ-साथ दोषसिद्धि के मामलों में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

- प्रशिक्षण में Dimensions of Human Trafficking, Legal & Institutional systems, Effective Investigation, रेस्क्यू प्रोटोकॉल समेत डिजिटल क्राइम एवं प्रिवेंशन स्ट्रेटजी (Prevention Strategies) आदि विषयों को शामिल किया जाना आवश्यक है। जिसके क्रियान्वयन हेतु विषय विशेषज्ञों की सहायता से पृथक प्रशिक्षण मॉडयूल प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर विकसित किया जाये।
- मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसमें आपराधिक दंड और उनके बैंक खातों को फ्रीज़ करने सहित तस्करों और अन्य सहअपराधियों द्वारा तस्करी के शिकार लोगों का शोषण करके जमा की गई गैर-कानूनी संपत्ति को ज़ब्त करना आवश्यक है। मानव दुर्व्यापार में संलिप्त व्यक्ति/अभियुक्त के विरूद्ध BNSS की धारा 107 के अंतर्गत खाता एवं संपत्ति जब्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मानव दुर्व्यापार के मामलों में विधिक कार्यवाही, प्रशिक्षण एवं सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जन-जागरूकता कराये जाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

19/4.

(राजीव कृष्णा)

1- पुलिस आयुक्त, समस्त कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, सिग्नेचर बिल्डिंग शहीद पथ, उ0प्र0, लखनऊ को मानव दुर्व्यापार से सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कराकर पुलिस बल को प्रशिक्षण (Refresher Course) प्रदान करने हेतु।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ0प्र0, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, (WCSO) उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।